Roll No./अनुक्रमांक | | | | |

Total No. of Questions: 100
कुल प्रश्नों की संख्या : 100

No. of Printed Pages: 34
मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 34

Suitability Test-17

iFke i'u&i=

First Question Paper

Time Allowed- 3:00 Hours (Including 2nd Que. Paper)
समय – 3:00 घण्टे (द्वितीय प्रश्न पत्र के साथ ही)

Maximum Marks-100
पूर्णांक – 100

निर्देश : –

Instructions :-

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। All questions are compulsory.
2. सभी प्रश्न के अंक समान हैं। All questions shall carry equal Marks.
3. प्रश्न पत्र में प्रश्नों की निर्धारित संख्या 150 हैं । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में प्रश्न मुद्रित है, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न पत्र मांग लें ।

   The question paper contains 150 questions. The examinee should verify that the requisite number of questions are printed in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
4. प्रश्न पत्र के आवरण पृष्ठ पर प्रश्न–पत्र में लगे पृष्ठों की संख्या दी गई । परीक्षार्थी आश्वस्त हो लें कि उसके प्रश्न–पत्र में निर्धारित संख्या में पृष्ठ लगे हैं, अन्यथा वह दूसरा प्रश्न–पत्र मांग लें ।

   The cover page indicates the number of pages in the question paper. The examinee should verify that the requisite number of pages are attached in the question paper, otherwise he/she should ask for another question paper.
5. प्रदत्त उत्तर शीट पर दिये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा अपने उत्तर तदनुसार अंकित करें।

   Read carefully the instructions given on the answer sheet supplied and indicate your answers accordingly.
6. कृपया उत्तरशीट पर निर्धारित स्थानों पर निर्धारित प्रविष्टियां कीजिये, अन्य स्थानों पर नहीं ।

   Kindly make the necessary entries on the answer sheet only at the places indicated and nowhere else.
7. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर मानक माना जायेगा।

   If there is any sort of mistake either of printing or of factual nature in any question, then out of the Hindi and English versions of the question, the English version will be treated as standard.
8. ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

   There shall be no negative marking.

Civil Procedure Code, 1908

i-Ø- 1& न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके नाम धारा 30 के अधीन समन निकाला गया है, हाजिर होने के लिए विवश कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा–
(अ) 2000 रूपए से अनधिक
(ब) 5000 रूपए से अनधिक
(स) 1000 रूपए से अनधिक
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. The court may compel the attendance of any person to whom a summons has been issued under section 30 and for that purpose may impose a fine upon him not exceeding :-
(a) Not exceeding 2000/- Rupees
(b) Not exceeding 5000/- Rupees
(c) Not exceeding 1000/- Rupees
(d) None of the above.

i-Ø- 2& किसी डिक्री की निष्पादन कार्यवाही के दौरान, जहॉ यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं है, वहॉ उक्त प्रश्न अवधारित किया जाएगा :–
(अ) न्यायालय द्वारा, जिसने डिक्री पारित किया है।
(ब) न्यायालय द्वारा, जो डिक्री का निष्पादन कर रहा है।
(स) अपीलीय न्यायालय द्वारा।
(द) एक पृथक् वाद द्वारा।

Que. During the proceeding of execution of a decree a question arises as to whether any person is Or not the representative of a party, such question shall be determined by :-
(a) The court which passed the decree.
(b) The court executing the decree.
(c) The appellate court.
(d) A separate suit.

i-Ø- 3& आदेश 7 नियम 11 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत निम्न में से किस दशा में वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा–
(अ) जहां वादी वाद पत्र में विवादित संपत्ति का सही वर्णन करने में असमर्थ रहा है।
(ब) जहां वादपत्र गलत व्यक्ति को वादी के रूप में संयोजित कर पेश किया गया है।
(स) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
(द) जहां पक्षकारों का कुसंयोजन है।

Que. On which of the following ground the plaint shall be rejected under Order 7 Rule 11 of the C.P.C. :-
(a) When the plaintiff has failed to describe the disputed property of the suit in proper manner.
(b) When the suit is filed in the name of wrong person as plaintiff.

(c) Where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law.
(d) Where there is misjoinder of the parties.

i-Ø- 4&- क्या सक्षम सीमित अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया विवाद्यक पूर्व न्याय के रूप में लागू होगा ?
(अ) नहीं।
(ब) हॉ।
(स) कुछ कहा नहीं जा सकता।
(द) कोई नहीं।

Que. Whether an issue, heard and finally decided by a competent court of limited jurisdiction, shall operate as *res judicata*-
(a) No.
(b) Yes.
(c) Nothing can be said.
(d) None of the above.

i-Ø- 5& उपशमन के प्रावधान अपील को भी लागू होंगे, इसके बारे में प्रावधान किया गया है :–
(अ) आदेश 22 नियम 9
(ब) आदेश 41 नियम 26
(स) आदेश 22 नियम 11
(द) आदेश 41 नियम 32

Que. Provision relating to abatement shall also applies to appeal, are provided in :-
(a) Order 22 Rule 9
(b) Order 41 Rule 26
(c) Order 22 Rule 11
(d) Order 41 Rule 32

i-Ø- 6& ''आदेश'' से अभिप्रेत है :–
(अ) सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति।
(ब) डिक्री या आदेश के आधारों का कथन।
(स) सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति, जो डिक्री नहीं है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. "Order" means :-
(a) The formal expression of any decision of a civil court
(b) The Statement given of the grounds of a decree or order.
(c) The formal expression of any decision of a civil court which is not a decree.
(d) None of above.

i-Ø- 7& नीलामी क्रेता को नीलामी राशि (क्रयधन) का 25 प्रतिशत तुरंत जमा कराना होता है और शेष रकम को वह जमा करा सकता है –

(अ) 15 दिन के भीतर।

(ब) 30 दिन के भीतर।

(स) न्यायालय की अनुमति से कभी भी।

(द) इनमें से कोई नहीं।

Que. Auction purchaser is required to deposit 25% of the auction (purchase) money immediately and rest of the amount -

(a) Within 15 day

(b) Within 30 day

(c) Any time with permission of Court.

(d) None of above.

i-Ø- 8& धारा 148–क व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार प्रस्तुत किया गया केवियेट कितने दिनों के अवसान पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगा

(अ) 30 दिन

(ब) 60 दिन

(स) 90 दिन

(द) 120 दिन

Que. A caveat lodged under section 148-A of C.P.C. shall not remain in force after the expiry of-

(a) 30 days

(b) 60 days

(c) 90 days

(d) 120 days

i-Ø-9 क्या डिक्री अपास्त करने का वाद इस आधार पर लाया जा सकता है कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है, विधिपूर्ण नहीं था –

(अ) हां।

(ब) नहीं।

(स) प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(द) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा।

Que. Whether a suit shall lie to set aside decree on the ground that the compromise on which the decree is based was not lawful -

(a) Yes.

(b) No

(c) It will depend upon circumstances.

(d) It will depend upon discretion of Court.

i-Ø- 10& अपीलीय न्यायालय डिक्री का निष्पादन रोके जाने का आदेश पर्याप्त हेतुक से किस प्रावधान के तहत दे सकता है –

(अ) आदेश 41 नियम 4 व्य0प्र0सं0।

(ब) आदेश 41 नियम 5 व्य0प्र0सं0।
(स) आदेश 41 नियम 27 व्य0प्र0सं0।
(द) आदेश 41 नियम 29 व्य0प्र0सं0।

Que. Appellate court may for sufficient cause order stay or execution of such decree under which provision -
(a) Order 41 Rule 4 C.P.C.
(b) Order 41 Rule 5 C.P.C.
(c) Order 41 Rule 27 C.P.C.
(d) Order 41 Rule 29 C.P.C.

i-Ø- 11& धारा 35(ख) व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत विलंब कारित करने के लिए खर्चा, यदि नहीं दिया गया है तो अंतिम निपटारे के समय –
(अ) इस संबंध में डिक्री में उल्लेख किया जायेगा।
(ब) डिक्री के साथ इस संबंध में पृथक आदेश किया जायेगा।
(स) खर्चे प्राप्त करने का अधिकार समाप्त माना जायेगा।
(द) वसूली के लिए पृथक वाद पेश हो सकता है।

Que. Under section 35(b) CPC if the costs for causing delay is not paid, then at the time of disposal -
(a) Such costs will be mentioned in the Decree
(b) A separate order shall be drawn up indicating the cost with decree
(c) Right to recover shall be extinguished
(d) A separate suit can be filed to recover such costs

i-Ø- 12& जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है वहां न्यायालय वादियों से –
(अ) निर्वाचन करने को निर्देश दे सकता है।
(ब) पृथक विचारण का आदेश दे सकता है।
(स) अ और ब दोनों में से कोई भी आदेश दे सकता है।
(द) वादी की सहमति के बिना कोई आदेश नहीं दे सकता।

Que. Where it appears to the Court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, Court may ask the plaintiff -
(a) Direct to their election
(b) May order separate trial
(c) May pass any order under option *a* or *b*
(d) No order can be passed without the consent of the plaintiff

i-Ø- 13& यदि साक्षी जिसका मुख्य परीक्षा का शपथ पत्र न्यायालय में दिया गया है, की प्रतिपरीक्षा कमीश्नर द्वारा की जा रही है, तो उसके द्वारा प्रतिवेदन दिया जायेगा –
(अ) 15 दिवस में
(ब) 30 दिवस में
(स) 60 दिवस में
(द) 90 दिवस में

Que. The evidence of witness whose examination in chief by affidavit has been furnished to the Court, the report of his cross examination by the Commissioner shall be submitted within -
(a) 15 Days
(b) 30 Days
(c) 60 Days
(d) 90 Days

i-Ø- 14& क्या मृत प्रतिवादी के विरूद्ध उसके वैध वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये बिना निर्णय सुनाया जा सकता है –
(अ) हां, यदि ऐसे प्रतिवादी ने जबावदावा पेश नहीं किया है और सुनवाई में उपस्थित होने में असफल रहा है तथा न्यायालय द्वारा उसके प्रतिनिधि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दी गई है तो।
(ब) यदि वह आवश्यक पक्षकार रहा है।
(स) यदि उसके कोई वारिस पूर्व से रिकॉर्ड पर हैं।
(द) किसी भी स्थिति में नहीं।

Que. Whether judgment can be pronounced after death of defendant without taking his legal representative on record,
(a) Yes, If such defendant failed to file written statement and fail to appear and contest the suit and Court has exempted plaintiff from the necessity of substituting the legal representative.
(b) If he is necessary party
(c) If his any representative is already on record
(d) In no condition

i-Ø- 15& संहिता के निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत उपस्थिति की त्रुटि में खारिज अपील पुनः ग्रहण की जा सकेगी–
(अ) आदेश 9 नियम 13 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत
(ब) आदेश 9 नियम 9 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत
(स) आदेश 41 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत
(द) आदेश 41 नियम 19 व्य0प्र0सं0 के अंतर्गत

Que. Under which of the following provision of the Code, the court may readmit the appeal dismissed for default. :-
(a) Order 9 rule, 13 of the C.P.C.
(b) Order 9 rule, 9 of the C.P.C.
(c) Order 41 rule, 17 of the C.P.C.
(d) Order 41 rule, 19 of the C.P.C.

i-Ø- 16& निम्न में से किस परिस्थितियों में वादी का दावा वादी की अनुपस्थिति पर भी डिक्री किया जा सकेगा–
(अ) जहां प्रतिवादी दावे या उसके भाग को स्वीकार कर लेता है।
(ब) जहां प्रतिवादी ने अपना वादोत्तर पेश नहीं किया है।

(स) जहां वादी अपनी कुछ साक्ष्य पहले ही प्रस्तुत कर चुका है।
(द) जहां वादी एवं प्रतिवादी दोनों सुनवाई हेतु नियत दिन पर उपसंजात होने में असफल रहते हैं।

Que. Under which circumstance the suit of plaintiff may be decreed against the defendant in the absence of plaintiff on the date of hearing :-
(a) Where the defendant admits the claim or part there of.
(b) Where the defendant did not file his written statement.
(c) Where the plaintiff has already produced some evidence.
(d) Where on the day to which the hearing of the suit is adjourned, both the parties failed to appear.

i-Ø- 17& कमिश्नर द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 (4) के अंतर्गत साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने के दौरान उठाये गये कोई आक्षेप–
(अ) उसके द्वारा लेखबद्ध एवं विनिश्चित किए जाएंगे।
(ब) उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय द्वारा बहस के प्रक्रम पर विनिश्चित किए जाएंगे।
(स) उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और तत्काल न्यायालय को आगे की साक्ष्य लेखबद्ध करने के साथ विनिश्चय हेतु निर्देशित किया जायेगा।
(द) उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे और न्यायालय के परामर्श से उसके द्वारा विनियिचत किए जाएंगे।

Que. Under order XVIII rule 4(4) of CPC, the objection raised during the recording of evidence by the Commissioner-
(a) Shall be recorded and decided by him.
(b) Shall be recorded by him and decided by the court during argument stage.
(c) Shall be recorded by him and referred to the court immediately for deciding further with the recording of evidence.
(d) Shall be recorded by him and decided by him in consultation with the court.

i-Ø- 18& निम्न में से किस प्रावधान में न्यायालय साक्षी की खुले न्यायालय में परीक्षा करने के बजाय कमीशन पर दर्ज किये जाने हेतु निदेश दे सकेगा।
(अ) आदेश 18 नियम 17–ए व्य0प्र0सं0
(ब) आदेश 18 नियम 16–ए व्य0प्र0सं0
(स) धारा 151 व्य0प्र0सं0
(द) आदेश 18 नियम 19 व्य0प्र0सं0

Que. In which of the following provisions the court may instead of examining witnesses in open court, direct to be recorded on commission.
(a) Order 18 Rule 17 A of C.P.C.
(b) Order 18 Rule 16 C.P.C.
(c) Section 151 of C.P.C.
(d) Order 18 Rule 19 C.P.C.

i-Ø- 19& यह कि अन्तराभिवाची वाद एक वाद है:–
(अ) दो अधिवक्ताओं के मध्य
(ब) संघ सरकार के अधिवक्ता एवं राज्य सरकार के अधिवक्ता के मध्य
(स) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो वाद की विषय वस्तु में स्वयं कोई हित न रखता हो।
(द) ऐसे व्यक्ति द्वारा संस्थित वाद जो विषय वस्तु में स्वयं हित रखता हो।

Que. Interpleader suit is a suit :
(a) Between two advocates
(b) Between Union Govt. Pleader and State Govt. Pleader
(c) Instituted by a person who has no interest in the subject matter
(d) Instituted by a person who has interest in the subject matter

i-Ø- 20& जहाँ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन उपनियम (1) नियम 4 आदेश 22 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन नहीं किया जाता है वहाँ –
(अ) वाद मृत प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री हो जाएगा।
(ब) वाद मृत प्रतिवादी के विरूद्ध उपशमित हो जाएगा।
(स) वाद सभी प्रतिवादियों के विरूद्ध खारिज हो जाएगा।
(द) वाद, आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत निरस्त हो जाएगा।

Que. Where within the time limited by law, no application is made under sub rule 1 of rule 4 of Order XXII Civil Procedure Code 1908 -
(a) The suit shall be decreed against the deceased defendant.
(b) The suit shall abate as against the deceased defendant.
(c) The suit shall be dismissed against all defendants.
(d) The suit shall be rejected under Order VII Rule 11.

Limitation Act, 1963

(Section 3, 5 to 14, 27 & 29 Articles 64, 65 & 137)

i-Ø- 21& मर्यादा अधिनियम की धारा–6 प्रयोज्य नहीं होती :–
(अ) वाद में।
(ब) आज्ञप्ति के निष्पादन में।
(स) हकशुफा अधिकारों को प्रवर्तित कराने के वादों में।
(द) उपरोक्त में कोई नहीं।

Que. Section 6 of the Limitation Act does not apply to :-
(a) Suits
(b) Execution of a decree.
(c) Suits to enforce rights of pre-emption.
(d) None of the above.

i-Ø- 22& परिसीमा अधिनियम की धारा–14 की प्रयोज्यता हेतु आवश्यक है कि वादी अन्य सिविल कार्यवाही सम्यक् तत्परता से अभियोजित करता रहा है :–
(अ) प्रथम बार के न्यायालय में।
(ब) अपील न्यायालय में।

(स) पुनरीक्षण न्यायालय में।
(द) उपरोक्त में सभी।

Que. For the application of section 14, the plaintiff should have been prosecuting with due diligence another civil proceeding :-
(a) In the court of first instance.
(b) In the court of appeal.
(c) In the court of revision.
(d) All of the above.

i-Ø- 23& किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये न्यासित संपत्ति के संबंध में न्यायी या उसके हित प्रतिनिधियों के विरूद्ध लेखा के लिये वाद प्रस्तुति की समयावधि कितनी है –
(अ) 1 वर्ष।
(ब) 2 वर्ष।
(स) 3 वर्ष।
(द) कोई समयावधि नहीं है।

Que. What is the limitation for filing a suit for account against a trustee or his legal representatives whom property has become vested in trust for any specific purpose -
(a) 1 Year.
(b) 2 Years.
(c) 3 Years.
(d) No limitation is prescribed.

i-Ø- 24& धारा 3 के अंतर्गत अकिंचन के मामले में उस दिनांक को वाद संस्थित होना माना जायेगा –
(अ) जब वाद पत्र पेश होता है।
(ब) जब अकिंचन के रूप में वाद करने की अनुमति के लिए उसका आवेदन पत्र दिया जाता है।
(स) जब अकिंचन के लिए आवेदन स्वीकार किया जाता है।
(द) जिस दिन वाद प्रथम सुनवाई पर आता है।

Que. Under section 3 a suit will be deemed to be instituted on date in case of pauper -
(a) When plaint is filed
(b) When application to leave to sue as a pauper is made
(c) When application to leave as pauper is accepted
(d) On the first date of the hearing.

i-Ø- 25& आर्टिकल 64 के अंतर्गत अचल संपत्ति से बेकब्जा किये जाने पर, कब्जा प्राप्ति का दावा प्रस्तुत किया जा सकता है –
(अ) पूर्व के कब्जे के आधार पर
(ब) स्वत्व के आधार पर
(स) लीज के आधार पर
(द) किरायेनामे के आधार पर

Que. Under Article 64 suit for possession of immovable property can be filed:-

(a) On the basis of previous possession
(b) On the basis of title
(c) On the basis of the lease
(d) On the basis of tenancy

Specific Relief Act, 1963

(Chapter I - Section 5, 6, 7 & 8, Chapter VI - Section 34 & 35, Chapter VIII - Section 38 & 41)

i-Ø- 26& विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा–6 के तहत आधिपत्य हेतु दावा प्रस्तुत करने हेतु समयसीमा :–

(अ) 03 वर्ष।
(ब) 06 माह।
(स) 12 वर्ष।
(द) 30 वर्ष।

Que. A suit for possession U/s 6 of the Specific Relief Act can be filed within :-

(a) 03 years.
(b) 06 months.
(c) 12 years.
(d) 30 years.

i-Ø- 27& धारा–8 विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम आकर्षित हो सकेगी :–

(अ) यदि धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष है।
(ब) यदि वास्तविक नुकसान आसानी से अभिनिश्चित किया जा सकता है।
(स) यदि व्यक्ति द्वारा दावाकृत वस्तु दावेदार के अभिकर्त्ता या न्यासी के रूप में धारित है।
(द) यदि दावाकृत वस्तु का कब्जा सही तरीके से अन्तरित कराया गया है।

Que. Section 8 can be invoked :-

(a) If compensation in money is adequate relief.
(b) If the actual damages can be easily ascertained.
(c) If the article is held by the person as an agent Or trustee of the claimant.
(d) If the article has been rightly transferred from the claimant.

i-Ø- 28& वादी जो एक अतिक्रामक है को प्रतिवादी भूमि का वास्तविक स्वामी बलपूर्वक कब्जे से बेदखल कर देता है। इस संबंध में वादी द्वारा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के तहत प्रस्तुत वाद –

(अ) प्रचलन योग्य है।
(ब) वादी का अधिकार न होने से प्रचलन योग्य नहीं है।
(स) अधिकारिता रहित है।

(द) वाद कारण रहित है।

Que. Plaintiff an encroacher is forcibly dispossessed by defendant, real owner of property. In this regard plaintiff files a suit under section 6 of Specific Relief Act. 1963, which is -
(a) Maintainable.
(b) Not maintainable because plaintiff has no right.
(c) Without jurisdiction.
(d) Without cause of action.

i-Ø- 29& ''अ'' शासकीय भूमि के संबंध में अतिक्रामक ''ब'' के विरूद्ध व्यादेश का वाद प्रस्तुत करता है। इस संबंध में अनुतोष –
(अ) जनहित का मामला होने से दिया जाना चाहिये।
(ब) वाद प्रमाणित होने पर दिया जा सकता है।
(स) वादी का मामले में वैयक्तिक हित न होने से अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है।
(द) न्यायालय के विवेक पर निर्भर है।

Que. "A" files a suit for injunction in respect of land belonging to government against "B" who is encroacher of government land. Relief for this -
(a) Must be granted because matter is of public interest.
(b) May be given if suit is proved.
(c) Cannot be granted because plaintiff has no personal interest in the matter.
(d) Will depend upon discretion of the Court.

i-Ø-30& क्या धारा 6 के अंतर्गत कब्जे की बेदखली के कारण सरकार के विरूद्ध वाद लाया जा सकता है ?
(अ) हां
(ब) नहीं
(स) विशेष परिस्थितियों में
(द) सरकार की अनुमति से

Que. Whether a suit can be filed against government for dispossession of property under Section 6 ?
(a) Yes
(b) No
(c) In special circumstances
(d) With the permission of government

Motor Vehicle Act, 1988
(Section 140, 163-A & 166)

i-Ø- 31& किसी अन्य विधि के अधीन दिये जाने वाले प्रतिकर की ऐसी रकम को धारा–140 या धारा 163क मोटरयान अधिनियम के अधीन संदेय प्रतिकर की रकम में से .....
(अ) घटा दिया जाएगा।

(ब) घटाया जा सकेगा।
(स) नहीं घटाया जाएगा।
(द) नहीं घटाया जा सकेगा।

Que. The amount of such compensation to be given under any other law ..... from amount of compensation payable U/s 140 Or 163A of M.V.Act :-
(a) Shall be reduced.
(b) May be reduced.
(c) Shall not be reduced.
(d) May not be reduced.

i-Ø- 32& धारा–163क के अन्तर्गत प्रतिकर संदाय करने के लिये कौन दायी होगा :–
(अ) मोटरयान का चालक, मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता।
(ब) मोटरयान का चालक, मोटरयान का स्वामी।
(स) मोटरयान का स्वामी या प्राधिकृत बीमाकर्ता।
(द) मोटरयान का चालक या प्राधिकृत बीमाकर्ता।

Que. Who shall be liable to pay compensation U/s 163A :-
(a) Driver, owner of motor vehicle Or authorized insurer.
(b) Driver, owner of motor vehicle.
(c) Owner of motor vehicle Or authorized insurer.
(d) Driver Or authorized insurer.

i-Ø-33& दावा अधिकरण, धारा–158 की उपधारा 6 के अधीन उसको भेजी गई दुर्घटना की किसी रिपोर्ट को मानेगा :–
(अ) मात्र पुलिस द्वारा दी गई सूचना।
(ब) मात्र दावाकर्त्ता को सहायता हेतु दी गई जानकारी।
(स) इस अधिनियम के अधीन प्रतिकर के लिये आवेदन के रूप में।
(द) किसी भी प्रयोजन हेतु अतात्विक।

Que. The Claim Tribunal, shall treat any report of the accident forwarded to it under sub section (6) of section 158 as :-
(a) Mere information furnished by police.
(b) Mere information to help claimant.
(c) An application for compensation under this Act.
(d) Not substantial for any purpose.

i-Ø- 34& जहॉ प्रतिकर के लिये किसी आवेदन में मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुये हैं:–
(अ) वहॉ वह आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके फायदे के लिये किया जाएगा।
(ब) जो विधिक प्रतिनिधि ऐसे सम्मिलित नहीं हुये हैं, उन्हें आवेदन के प्रत्यर्थियों के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा।
(स) उपरोक्त अ एवं ब दोनों।

(द) उपरोक्त में कोई आवश्यक नहीं।

Que. For the legal representatives of the deceased who have not joined in any such application for compensation :-
(a) The application shall be made on behalf of Or for the benefit of all the legal representatives of the deceased.
(b) The legal representatives who have not so joined, shall be impleaded as respondents to the application.
(c) A & B both above.
(d) Not necessary any of above.

i-Ø-35& धारा 163–क मोटरयान अधिनियम के प्रावधान के संबंध में क्या सही नहीं है –
(अ) मोटर वाहन के उपयोग से दुर्घटना प्रमाणित करना आवश्यक है।
(ब) किसी व्यक्ति की सदोष कार्य, उपेक्षा या चूक प्रमाणित करना आवश्यक है।
(स) क्षतिपूर्ति का आकलन द्वितीय अनुसूची के अनुसार होता है।
(द) स्थायी निःशक्तता का आशय कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के समान माना गया है।

Que. Which fact is not correct about Section 163-A of Motor Vehicle Act. -
(a) Proof of accident arising out of the use of motor vehicle is necessary.
(b) Wrongful act or neglect or default of a person should be proved.
(c) Calculation of damages is guided by second schedule.
(d) "Permanent disability" shall have same meaning as in the Workmen's Compensation Act. 1923.

Code of Criminal Procedure, 1973

i-Ø- 36& द0प्र0सं0 की धारा–95 के तहत कुछ प्रकाशनो के समपहरण की घोषणा को अपास्त कराने हेतु आवेदन पेश किया जा सकता है :–
(अ) सत्र न्यायालय में
(ब) उच्च न्यायालय में
(स) सर्वोच्च न्यायालय में
(द) न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय में

Que. To set-aside declaration of forfeiture of certain publications U/s 95 of Cr.P.C application may be given to :-
(a) The Sessions Court.
(b) The High Court.
(c) The Supreme Court.
(d) The Court of Judicial Magistrate first Class.

i-Ø- 37& जहॉ ऐसे व्यक्ति, जिसने धारा–306 या 307 द0प्र0सं0 के अधीन क्षमादान स्वीकार कर लिया है, उसने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर, उस शर्त का पालन नहीं किया है, जिस पर क्षमादान किया गया था, तो इस तथ्य को कौन प्रमाणित करेगा ?
(अ) जिला दण्डाधिकारी

(ब) सत्र न्यायाधीश
(स) लोक अभियोजक
(द) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी

Que. Any person, who has accepted a tender of pardon made U/s 306 Or 307 Cr.P.C., has either by willfully concealing anything essential or by giving false evidence, not complied with condition on which tender was made, then who will prove this fact ?
(a) The District Magistrate.
(b) The Sessions Judge.
(c) The Public Prosecutor.
(d) The Chief Judicial Magistrate.

i-Ø- 38& जहॉ, परिवाद वाले मामले को पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले के साथ सम्मिलित किया जाता है, तो विचारण के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :–
(अ) परिवाद मामले अनुसार होगी।
(ब) पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामलों के अनुसार होगी।
(स) दोनों तरह से होगी, जो भी विचारण के दौरान सुविधापूर्ण हो।
(द) उक्त में से मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित प्रक्रिया अनुसार होगी।

Que. In case of merger of the complaint with the police report, the procedure to be followed for the trial :-
(a) Shall be of the complaint case.
(b) Shall be of the case instituted on the police report.
(c) Shall be of both as per convenience during the trial.
(d) Shall be the one as directed by the magistrate.

i-Ø- 39& सक्षम क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष, दण्ड या आदेश, आरोप के अनिर्माण या आरोप में कोई लोप, त्रुटि या अनियमितता के कारण से :–
(अ) सदैव अवैध होगा।
(ब) सामान्यतः अविधिमान्य नहीं होगा।
(स) मात्र तब अवैध होगा, जब वस्तुतः उसके कारण न्याय नहीं हो पाया है।
(द) ब और स दोनों।

Que. Due to non framing of charge Or due to any error/omission Or irregularity in the charge, the finding, sentence Or order by a court of competent jurisdiction :-
(a) Shall be invalid always.
(b) Shall not be deemed invalid generally.
(c) Shall be deemed invalid only, when it has infact occasioned in failure of justice.
(d) Both B & C.

i`Ø- 40& किस न्यायदृष्टांत में अवधारित किया गया है कि **^^ihfM+r^^** की परिभाषा के अंतर्गत् मृतक की विधवा आती है ?

(अ) सी.आर. राधाकृष्णन विरूद्ध केरल राज्य व अन्य, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 1968

(ब) हिमाचल प्रदेश राज्य विरूद्ध निर्मला देवी ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 1981

(स) मंतीदेवी व अन्य विरूद्ध किशुन देव साव व अन्य, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 2002

(द) रूपेन्द्र सिंह विरूद्ध त्रिपुरा राज्य व अन्य, ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 1801

Que. In which case, it has been held that widow of deceased comes within definition of "Victim" :-

(a) C.R. Radhakrishnan Vs. State of Kerala and other, AIR 2017 SC 1968

(b) State of Himachal Pradesh Vs. Nirmala devi, AIR 2017 SC 1981

(c) Manti Devi and another Vs. Kishun Deo Sao and others, AIR 2017 SC 2002

(d) Roopendra Singh Vs. State of Tripura and another, AIR 2017 SC 1801

i`Ø- 41& अभियुक्त की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की युक्तियुक्त देखरेख करें। यह प्रावधान किया गया है :—

(अ) धारा 56 में।

(ब) धारा 55 में।

(स) धारा 55क में।

(द) धारा 54क में।

Que. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety of the accused. This is provided in :-

(a) Sec. 56

(b) Sec. 55

(c) Sec. 55A

(d) Sec. 54A

i`Ø- 42& द0प्र0सं0 की धारा—311 के तहत शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है :—

(अ) पहले परीक्षा की जा चुकी साक्षी को पुनः बुलाने के लिये

(ब) सूचीबद्ध रहे साक्षी, जिसे साक्ष्य समाप्त होने के पूर्व प्रस्तुत या परीक्षित नहीं किया गया समन करने हेतु

(स) किसी साक्षी को समन करने, जो साक्ष्य—सूची में दर्शित नहीं

(द) उपरोक्त सभी के लिये

Que. Power U/s 311 of Cr.P.C. can be exercised :-

(a) To recall any witness already examined.

(b) To summon any witness who has been cited as a witness but not produced Or examined before the evidence is closed.

(c) To summon any witness who has not been cited as a witness.

(d) For all the above.

i-Ø- 43& परिशांति कायम रखने का सदाचार के लिये प्रतिभूति अपेक्षित करने या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने, या पूर्व मे पेश प्रतिभूति को अस्वीकार करने वाले दं0प्र0सं0 की धारा 117 या 121 के अधीन आदेश के विरूद्ध क्या विधिक उपचार उपलब्ध है –

(अ) अपील।

(ब) पुनरीक्षण।

(स) पुनर्विलोकन।

(द) रिट याचिका।

Que. What legal remedy is available against an order under section 117 or 121 of Cr.P.C. requiring security or refused to accept security or rejecting security previously accepted for keeping peace or good behavior -

(a) Appeal.

(b) Revision.

(c) Review.

(d) Writ petition.

i-Ø- 44& जुर्माने के दण्डादेश की अपील की लंम्बानावस्था में अभियुक्त/अपीलार्थी की मृत्यु हो जाने पर –

(अ) अपील का अंतिमतः उपशमन हो जायेगा।

(ब) अपील का उपशमन नहीं होगा।

(स) निकट नातेदार के आवेदन पर अपील जारी रखी जा सकती है।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. During the pendencey of an appeal from a sentence of fine, on death of accused/appellant -

(a) Appeal shall finally abate.

(b) Appeal shall not abate.

(c) On near relatives application, appeal can be continued.

(d) None of the above.

i-Ø- 45& पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रतिकर की मात्रा कौन निर्धारित करता है –

(अ) विचारण न्यायालय।

(ब) सत्र न्यायालय।

(स) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

(द) राज्य शासन।

Que. Who decide the quantum of compensation under victim compensation scheme-

(a) Trial Court.

(b) Sessions Court.

(c) District Legal Service Authority.

(d) State Government.

i-Ø- 46& धारा 452 दं0प्र0सं0 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध क्या उपचार उपलब्ध है –
(अ) अपील।
(ब) पुनरीक्षण।
(स) पुनर्विलोकन।
(द) उक्त में से कोई नहीं।

Que. What remedy is available against an order made by a court under section 452 Cr.P.C.
(a) Appeal.
(b) Revision.
(c) Review.
(d) None of above.

i-Ø- 47& सामान्यतः बलात्संग के विचारण में साक्ष्य, यदि हाजिरी से माफी नहीं दी गई है तो, अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जायेगा, परन्तु किन परिस्थितियों में न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी स्त्री से अभियुक्त का सामना न हो–
(अ) यदि उसकी आयु 18 वर्ष से कम हो।
(ब) वह किसी भी आयु की हो।
(स) यदि उसकी ओर से कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं है।
(द) यदि वह अनपढ़ है।

Que. Generally in cases of rape, evidence taken in the course of trial shall be taken in the presence of accused, unless exempted, but in what circumstances court may take appropriate measures to ensure that such women is not confronted by the accused -
(a) If she is below the age of 18 years
(b) She is of any age
(c) If she has not engaged a Lawyer
(d) If she is illiterate

i-Ø- 48& धारा 309 दं0प्र0सं0 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार यदि मामला भा0दं0सं0 की धारा 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ के अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण यथासंभव आरोप पत्र फाईल किये जाने की कितनी अवधि में पूरा किया जाना चाहिए –
(अ) एक वर्ष
(ब) छः माह
(स) तीन माह
(द) दो माह

Que. Under section 309 Cr.P.C. when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, section 376-A, 376-B, 376-C, 376-D IPC as far as possible it should be completed in which period after filing of the Charge-sheet -
(a) One year
(b) Six months

(c) Three months
(d) Two months

i-Ø- 49& क्रास केस का उपार्पण किस प्रावधान के अंतर्गत किया जा सकता है –
(अ) धारा 209
(ब) धारा 190
(स) धारा 325
(द) धारा 323

Que. Cross case can be committed under which provision.
(a) Under section 209
(b) Under section 190
(c) Under section 325
(d) Under section 323

i-Ø- 50& बलात्संग संबंधी मामलों में पीड़ित स्त्री का कथन धारा 161 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत –
(अ) पुलिस के राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।
(ब) थाना प्रभारी द्वारा स्वयं लिया जायेगा।
(स) विवेचक द्वारा लिया जा सकता है।
(द) किसी महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

Que. In offence of rape the statement of the prosecutrix under section 161
(a) Shall be recorded by Gazetted Office of Police
(b) Shall be recorded by Incharge Police Station himself
(c) Shall be recorded by officer doing investigation
(d) Shall be recorded by a women police officer or any women officer

i-Ø- 51& डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चीज की तलाशी के लिये वारंट कौन जारी कर सकता है –
(अ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
(ब) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी।
(स) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी।
(द) कोई मजिस्ट्रेट।

Que. Who can grant a search warrant for a document parcel or other thing in the custody of the Postal or telegraph authority -
(a) Chief Judicial Magistrate.
(b) Judicial Magistrate First Class.
(c) Judicial Magistrate Second Class.
(d) Any Magistrate.

i-Ø- 52& धारा 446 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध –
(अ) अपील होगी
(ब) निगरानी होगी
(स) पुनर्विलोकन होगा

(द) दया याचिका होगी।

Que. Order passed under section 446 can be challenged -
(a) In Appeal
(b) In Revision
(c) In review
(d) In Mercy petition

i-Ø- 53& निम्न में से कौन सी धारा अभियुक्त सहित किसी व्यक्ति को किसी विवेचना अथवा कार्यवाही हेतु हस्ताक्षर नमूना या हस्तलिपि देने के लिए आदेशित करने की मजिस्ट्रेट को अधिकारिता प्रदान करती है–
(अ) धारा 313 दं.प्र.सं.
(ब) धारा 315 दं.प्र.सं.
(स) धारा 54क दं.प्र.सं.
(द) धारा 311क दं.प्र.सं.

Que. Which of the following section empowers magistrate to order any person including an accused to give specimen signatures or handwriting for the purpose of the investigation or proceeding?
(a) Sec. 313 of the Cr.P.C.
(b) Sec. 315 of the Cr.P.C.
(c) Sec. 54A of the Cr.P.C.
(d) Sec. 311A of the Cr.P.C.

i-Ø- 54& निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य दर्ज करने अथवा ऐसे करने का निर्देश दिया जाना प्रावधानित है–
(अ) धारा 273 दं.प्र.सं.
(ब) धारा 262 दं.प्र.सं.
(स) धारा 311 दं.प्र.सं.
(द) धारा 391 दं.प्र.सं.

Que. Which one of the following section authorizes the appellate court to take additional evidence or direct it to be taken?
(a) Section 273 of the Cr.P.C.
(b) Section 262 of the Cr.P.C.
(c) Section 311 of the Cr.P.C.
(d) Section 391 of the Cr.P.C.

i-Ø- 55& किस प्रावधान के अन्तर्गत, अभियोजन का साक्ष्य लेने के पश्चात और अभियुक्त को उसके बचाव में प्रवेश कराये बिना, दोषमुक्ति का निर्णय अभिलिखित किया जा सकता है ?
(अ) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 235 के अन्तर्गत।
(ब) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 232 के अन्तर्गत।
(स) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 236 के अन्तर्गत।
(द) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 230 के अन्तर्गत।

Que. Under which provision an order of acquittal may be recorded after taking the evidence for the prosecution and without entering the accused upon his defence.
(a) Under section 235 of Cr.P.C., 1973
(b) Under section 232 of Cr.P.C., 1973
(c) Under section 236 of Cr.P.C., 1973.
(d) Under section 230 of Cr.P.C., 1973

Indian Evidence Act, 1872

i-Ø- 56& एक निश्चित स्थान पर निश्चित वस्तुएँ एक निश्चित क्रम में होना :–
(अ) एक तथ्य है।
(ब) एक राय है।
(स) एक दस्तावेज है।
(द) एक हेतुक है।

Que. That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place :-
(a) Is a fact.
(b) Is an opinion.
(c) Is a document.
(d) Is a motive.

i-Ø- 57& जबकि कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है ?
(अ) वह उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।
(ब) दूसरे पक्षकार की आपत्ति निरर्थक है।
(स) न्यायालय के आदेश की आवश्यकता नहीं।
(द) दस्तावेज को स्वीकृत होना माना जाएगा।

Que. When a party refuses to produce a document which he had notice to produce ?
(a) He cannot use the document as evidence without consent of opposite party Or order of court.
(b) Objection of opposite party is worthless.
(c) Order of court not necessary.
(d) Document will be deemed to be an admitted document.

i-Ø- 58& विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है, यह :–
(अ) विधि की खण्डनीय उपधारणा है।
(ब) तथ्य की उपधारणा है।
(स) विधि व तथ्य की विस्तृत उपधारणा है।
(द) विधि की अखण्डनीय उपधारणा है।

Que. Birth during marriage, conctusive proof of Leqitiuracy, it is :-
(a) Rebutable presumption of law.
(b) Presumption of fact.
(c) Mixed presumption of law and fact.
(d) A irrebutable presumption of law.

i-Ø- 59& जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया और यह दर्शित किया गया है कि वह ..... वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है, उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है ?
(अ) 18
(ब) 07
(स) 30
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. When the question is whether a man is alive Or dead and it is shown that he was alive within ..... years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it ?
(a) 18
(b) 07
(c) 30
(d) None of these.

i-Ø- 60& न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य का साबित किया जाना –
(अ) आवश्यक नहीं है।
(ब) आवश्यक है।
(स) न्यायालय साबित किये जाने की अपेक्षा कर सकता है।
(द) प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

Que. Facts of which the Court will take judicial notice, its prove -
(a) Is not necessary
(b) Is necessary.
(c) Court can expect to be proved.
(d) It will depend upon facts of the case.

i-Ø- 61& साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–क में किस उपधारणा का प्रावधान है –
(अ) किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा।
(ब) दहेज मृत्यु के बारे में उपधारण।
(स) बलात्संग के अभियोजन में सम्मति न होने के बारे में उपधारणा।
(द) किसी तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा।

Que. Which presumption is provided in section 113-A of Indian Evidence Act.
(a) Presumption as to abetment of suicide by a married woman.
(b) Presumption as to dowry death.
(c) Presumption as to absence of consent in prosecution for rape.

(d) Presumption as to existence of any fact.

i-Ø- 62& धारा 376 भा0दं0वि0 से संबंधित मामले में पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण अनैतिक आचरण या किसी व्यक्ति से पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिये प्रश्नों का पूछा जाना –

(अ) सत्यवादिता परखने अनुज्ञेय है।

(ब) जीवन में उसकी स्थिति क्या है जानने अनुज्ञेय है।

(स) उसकी शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता परखने अनुज्ञेय है।

(द) अनुज्ञेय नहीं है।

Que. In a prosecution for offence under section 376 I.P.C. during cross examination of victim as to general immoral character, or previous sexual experience of such victim with any person for proving such consent or nature of consent, to put a question is -

(a) Permissible to test his veracity.

(b) Permissible to discover what is his position in life.

(c) Permissible to shake his credit, by injuring his character.

(d) Is not permissible.

i-Ø- 63& साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिये नवीन विचारण नहीं होगा, इस संबध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में प्रावधान है –

(अ) धारा 164

(ब) धारा 165

(स) धारा 166

(द) धारा 167

Que. No new trial for improper admission or rejection of evidence. This is provided in which section of the Indian Evidence Act. -

(a) Section 164

(b) Section 165

(c) Section 166

(d) Section 167

i-Ø- 64& ''पांच वर्ष पुराने इलेक्ट्रानिक अभिलेखों के बारे में उपधारणा'' का प्रावधान धारा 90–क भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस वर्ष अन्तः स्थापित किया गया –

(अ) 1998

(ब) 2000

(स) 2008

(द) 2009

Que. In which year section 90-A "Presumption as to electronic records five years old" was inserted in Indian Evidence Act. -

(a) 1998

(b) 2000

(c) 2008

(d) 2009

i-Ø- 65& किसी विलेख में रिक्त स्थान है। क्या उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकता है कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी –

(अ) हां, दस्तावेज को स्पष्ट करने साक्ष्य दिया जा सकता है।

(ब) हां, अर्थ दर्शित करने या त्रुटियों की पूर्ति के लिये साक्ष्य दिया जा सकता है।

(स) ''अ'' और ''ब'' दोनों सही है।

(द) नहीं।

Que. A deed contains blanks. Whether evidence can be given of facts which would show how they were meant to be filled -

(a) Yes, Evidence may be given to clarify the document.

(b) Yes, Evidence may be given of facts which would show its meaning or supply its defects.

(c) "A" and "B" both are correct.

(d) No

i-Ø- 66& मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्राह्य हैं, यदि वह –

(अ) धारा 18 की शर्तों की पूर्ति करते हैं।

(ब) धारा 21 की शर्तों की पूर्ति करते हैं।

(स) यदि वह धारा 22 की शर्तों की पूर्ति करते हैं।

(द) यदि वह धारा 32 की शर्तों की पूर्ति करते हैं।

Que. Dying declaration is relevant if -

(a) It complies with the conditions of Section 18

(b) It complies with the conditions of Section 21

(c) It complies with the conditions of Section 22

(d) It complies with the conditions of Section 32

i-Ø- 67& स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं, किंतु विबंध कर सकती हैं –

(अ) कथन सत्य है।

(ब) कथन सत्य नहीं है।

(स) कथन अनिश्चित है।

(द) विधि का नियम नहीं है।

Que. Admissions are not conclusive proof, but may estop -

(a) Statement is true

(b) Statement is not true

(c) Statement is uncertain

(d) Is not a rule of law

i-Ø- 68& ''सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किये जा सकेगें'', इस नियम का अपवाद है –

(अ) दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर्वस्तु

(ब) केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज

(स) केवल इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. "All facts may be proved by oral evidence", exception of this rule is -
(a) Contents of document or electronic records
(b) Only registered document
(c) Only electronic records
(d) None of the above

i-Ø- 69& किस पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि अभियुक्त का मामला साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है –
(अ) अभियोजन पर।
(ब) अभियुक्त पर।
(स) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. Burden of proving that case of accused comes within general exception lies on which party -
(a) On prosecution.
(b) On accused.
(c) It depends upon the discretion of the Court.
(d) None of the above.

i-Ø- 70& निम्न में से कौन–सी धारा यह प्रावधानित करती है कि साक्षी से उसके द्वारा किये गये पूर्व लिखित कथन के विषय में लिखित कथन को दिखाये बिना अथवा प्रमाणित किये बिना प्रश्न पूछा जा सकेगा–
(अ) धारा 145 साक्ष्य अधिनियम
(ब) धारा 141 साक्ष्य अधिनियम
(स) धारा 147 साक्ष्य अधिनियम
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं

Que. Which of the following section provides that a witness may be cross examined as to previous statement made by him in writing without such writing being shown to him or being proved.
(a) Section 145 of the Evidence Act.
(b) Section 141 of the Evidence Act.
(c) Section 147 of the Evidence Act.
(d) None of the Above.

Indian Penal Code, 1860

i-Ø- 71& हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास का दण्डादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दण्ड को किसी भी भॉति के कारावास की ऐसी अवधि के लिये लघुकृत कर सकेगी, जो अधिक न हो :–
(अ) सात वर्ष से।
(ब) बीस वर्ष से।

(स) चौदह वर्ष से।
(द) ग्यारह वर्ष से।

Que. In every case, where sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of the offender commute punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding :-
(a) Seven years.
(b) Twenty years.
(c) Fourteen years.
(d) Eleven years.

i-Ø- 72& 'ए', जिला जज के न्यायालय में साक्षी के रूप में उपस्थित रहने हेतु जारी समन्स के पालन में हाजिर होने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुये हाजिर होने का साशय लोप करता है, 'ए' ने किया है :–
(अ) धारा–170 के तहत अपराध।
(ब) धारा–173 के तहत अपराध।
(स) धारा–174 के तहत अपराध।
(द) धारा–174–क के तहत अपराध।

Que. 'A' being legally bound to appear before District Judge as a witness in obedience to a summons issued by that District Judge, 'A' intentionally omits to appear, A has committed :-
(a) Offense U/s 170.
(b) Offense U/s 173.
(c) Offense U/s 174.
(d) Offense U/s 174-A.

i-Ø- 73& बलात्कार की पीड़ित की पहचान का प्रकटीकरण किया जाना दण्ड़नीय अपराध है :–
(अ) धारा–376डी भा0द0सं0 के तहत।
(ब) धारा–229 भा0द0सं0 के तहत।
(स) धारा–228 भा0द0सं0 के तहत।
(द) धारा–228ए भा0द0सं0 के तहत।

Que. Disclosure of identity of victim of rape is punishable under :-
(a) Section 376D of IPC.
(b) Section 229 of IPC.
(c) Section 228 of IPC.
(d) Section 228A of IPC.

i-Ø- 74& आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह किया गया है :–
(अ) यदि अभियुक्त ने उसे क्रोध में किया हो।
(ब) यदि अभियुक्त ने उसे पागलपन की अवधि में किया हो।
(स) यदि मृतक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था, तब उसकी सहमति से किया हो।

(द) यदि मृतक 12 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था, तब उसकी सहमति से किया हो

Que. Culpable homicide is not murder, if it is committed ;-
(a) When the offender is acting in anger.
(b) When the offender is acting under the spell of madness.
(c) With the consent of the victim, who has completed 18 years of age.
(d) With the consent of the victim, who has completed 12 years of age.

i-Ø- 75& भा0द0सं0 के अनुसार विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण के अपराध हेतु क्या आवश्यक नहीं है ?
(अ) अप्राप्तवय, जो 16 वर्ष से कम उम्र का नर या 18 वर्ष से कम उम्र की नारी हो।
(ब) अपराध करने का आशय।
(स) विधिपूर्ण संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाना।
(द) विधिपूर्ण संरक्षकता के बाहर ले जाना।

Que. Which is not essential for offense of kidnapping from lawful guardianship according to IPC ?
(a) A minor who is below 16 years of age if male or 18 years of age if female.
(b) Intention of offender.
(c) Taking without consent of lawful guardian.
(d) Taking out of the keeping of lawful guardian.

i-Ø- 76& जेड के कब्जे में फर्नीचर और धन था। वह मर जाता है। उसका सेवक ए, उस धन के किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व, जो ऐसे कब्जे के हकदार है, बेईमानी से उसका दुविर्नियोग करता है। ए ने अपराध किया है :–
(अ) धारा–403 भा0द0सं0 का।
(ब) धारा–404 भा0द0सं0 का।
(स) धारा–406 भा0द0सं0 का।
(द) धारा–408 भा0द0सं0 का।

Que. Z, dies in possession of furniture and money. His servant A, before money comes into possession of any person entitled to such possession, dishonestly misappropriates it. A has committed offense defined :-
(a) U/s 403 of IPC.
(b) U/s 404 of IPC.
(c) U/s 406 of IPC.
(d) U/s 408 of IPC.

i-Ø- 77& दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख पेश करने के लिये वैद्य रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को पेश करने का साशय लोप संबंधित है –
(अ) धारा 174 भा0दं0वि0।
(ब) धारा 175 भा0दं0वि0।
(स) धारा 176 भा0दं0वि0।
(द) धारा 177 भा0दं0वि0।

Que. Which section is concerned with intentional omission to produce document or electronic record to public servant by person legally bound to produce it -
(a) Sec. 174 I.P.C.
(b) Sec. 175 I.P.C.
(c) Sec. 176 I.P.C.
(d) Sec. 177 I.P.C.

i-Ø- 78& ''य'' को जो अट्ठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसाकर ''क'' उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। ''क'' ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है –
(अ) आत्महत्या के दुष्प्रेरण।
(ब) शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण।
(स) हत्या।
(द) हत्या का दुष्प्रेरण।

Que. "A" by instigation voluntarily causes "Z" a person under eighteen years of age to commit suicide. "A" has committed which of the following offence -
(a) Abetment of suicide.
(b) Abetment of suicide of child or insane person.
(c) Murder.
(d) Abetment of murder.

i-Ø- 79& अम्ल का प्रयोग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने का अपराध निम्न में से भा0दं0वि0 की किस धारा से संबंधित है –
(अ) 326–क
(ब) 327–क
(स) 325–क
(द) 329–क

Que. Which of the following section of I.P.C. is concerned with voluntarily causing grievous hurt by use of acid -
(a) 326-A
(b) 327-A
(c) 325-A
(d) 329-A

i-Ø- 80& ''क'' राजमार्ग पर ''य'' और उसके शिशु से मिलता है। ''क'' उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि ''य'' उसको अपनी थैली प्रदत्त नहीं करेगा तो वह उस शिशु को कगार से नीचे फेक देगा। परिणामस्वरूप ''य'' अपनी थैली दे देता है। ''क'' ने कौन सी धारा का अपराध किया है –
(अ) धारा 384 भा0दं0वि0।
(ब) धारा 392 भा0दं0वि0।
(स) धारा 394 भा0दं0वि0।

(द) धारा 397 भा0दं0वि0।

Que. "A" meets "Z" and his child on the highway "A" takes the child and threatens to fling it down a precipice, unless "Z" delivers his purse. "Z" in consequence delivers his purse. "A" has committed offence under section -

(a) Sec. 384 I.P.C.
(b) Sec. 392 I.P.C.
(c) Sec. 394 I.P.C.
(d) Sec. 397 I.P.C.

i-Ø- 81& व्यक्ति के दुर्व्यापार के अपराध में पीड़ित की सम्मति –

(अ) महत्वहीन है।
(ब) महत्वपूर्ण है।
(स) अवयस्क की सम्मति ही महत्व हीन है।
(द) प्रकरण की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

Que. In the offence of trafficking of person consent of the victim is -

(a) Immaterial.
(b) Important.
(c) Only minor's consent is immaterial.
(d) It will depend upon facts of the case.

i-Ø- 82& भा0दं0वि0 की किस धारा में सामूहिक बलात्संग की परिभाषा दी गई है –

(अ) 376(2)(छ)
(ब) 376(2)(च)
(स) 376ग
(द) 376घ

Que. The definition of "Gang grape" is given in which section of I.P.C.

(a) 376(2)(g)
(b) 376(2)(f)
(c) 376-C
(d) 376-D

i-Ø- 83& ''क'' को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। ''क'' उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किये बिना उसे तुरंत बेच देता है। ''क'' किस धारा के अपराध का दोषी है –

(अ) धारा 402 भा0दं0वि।
(ब) धारा 403 भा0दं0वि।
(स) धारा 404 भा0दं0वि।
(द) धारा 379 भा0दं0वि।

Que. "A" finds a valuable ring, not knowing to whom it belongs. "A" sells it immediately without attempting to discover the owner. "A" is guilty of which offense -
(a) Section 402 I.P.C.
(b) Section 403 I.P.C.
(c) Section 404 I.P.C.
(d) Section 379 I.P.C.

i-Ø- 84& जहां पीड़िता चित्रों या किसी अभिनय के चित्र को खींचने के लिसे सम्मति देती है, किन्तु अन्य व्यक्तियों को उन्हें प्रसारित करने की सम्मति नहीं देती है और जहां उस चित्र या कृत्य का प्रसारण किया जाता है तो यह अपराध है –
(अ) धारा 354क के अंतर्गत
(ब) धारा 354ग के अंतर्गत
(स) धारा 509 के अंतर्गत
(द) कोई अपराध नहीं है।

Que. Where the victim consents to the capture of the images or any act, but not to their dissemination to the third persons and where such image or act is disseminated then it is an offence -
(a) Under section 354A
(b) Under section 354C
(c) Under section 509
(d) It is not an offence

i-Ø- 85& जब कि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय है, तो जुर्माना न देने पर कारावास की अवधि निम्न से अधिक नहीं होगी –
(अ) अधिकतम दण्ड से
(ब) अधिकतम दण्ड के 1/2 से
(स) अधिकतम दण्ड के 1/3 से
(द) अधिकतम दण्ड के 1/4 से

Que. If the offence is punishable with imprisonment as well as fine the limit of imprisonment for non payment of fine shall not exceed -
(a) Maximum sentence
(b) ½ of maximum sentence
(c) 1/3 of maximum sentence
(d) ¼ of maximum sentence

i-Ø- 86& धारा 149 में प्रयुक्त शब्द 'विधि विरूद्ध जमाव' को परिभाषित किया गया है –
(अ) धारा 141 में
(ब) धारा 144 में
(स) धारा 145 में
(द) धारा 146 में

Que. Word 'unlawful assembly' used in section 149 is defined in -
(a) Section 141
(b) Section 144
(c) Section 145
(d) Section 146

i-Ø- 87& जहां किसी शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी, तो अपराध –
(अ) आपराधिक मानव–वध होगा
(ब) हत्या करने का प्रयास होगा
(स) आपराधिक मानव–वध करने का प्रयत्न होगा।
(द) चोट की प्रकृति अनुसार निर्धारित होगा।

Que. Where death is caused by bodily injury and such death may although by resorting to proper remedies and skillful treatment might have been prevented this offence will be -
(a) Culpable homicide
(b) Attempt to commit murder
(c) Attempt to commit culpable homicide
(d) determined as per nature of injury

i-Ø- 88& **d** को चाबुक मारने का प्रयत्न **;** करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि **d** को घोर उपहति कारित हो। **d** एक पिस्तौल निकाल लेता है। **;** हमले को चालू रखता है। **d** सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बच सकता है गोली से **;** का वध कर देता है।
(अ) **d** ने हत्या की है,
(ब) **d** ने आपराधिक मानव–वध किया है
(स) **d** ने कोई अपराध नहीं किया है।
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

Que. **Z** attempts to horsewhip **A**, not in such a manner as to cause grievous hurt to **A**. **A** draws out a pistol. **Z** persists in the assault. **A** believing in good faith that he can by no other means prevent himself from being horsewhipped, shoots **Z** dead.
(a) **A** has committed murder
(b) **A** has committed culpable homicide
(c) **A** has committed no offence
(d) None of the above

i-Ø- 89& धारा 450 में वर्णित परिस्थितियों में किया गया गृह–अतिचार –
(अ) किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
(ब) केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी द्वारा विचारणीय है।
(स) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है

(द) सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

Que. House-trespass described in section 450 -
(a) Triable by any Magistrate
(b) Triable by Magistrate First Class only
(c) Triable by Chief Judicial Magistrate
(d) Triable by the Sessions Court

i-Ø- 90& दहेज मृत्यु के प्रकरण में न्यूनतम कारावास की सजा है ?
(अ) सात वर्ष ।
(ब) पाँच वर्ष ।
(स) दस वर्ष ।
(द) तीन वर्ष।

Que. The minimum sentence in dowry death case is-
(a) 7 years
(b) 5 years
(c) 10 years
(d) 3 years

Negotiable Instrument Act, 1881

(Section 138 to 142)

i-Ø- 91& धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 का प्रावधान आकर्षित होने के प्रयोजन हेतु चैक को बैंक में प्रस्तुत किया जाना चाहिए :–
(अ) 06 माह की समयावधि के अन्दर।
(ब) चैक जारी होने की तिथि से 06 माह के अन्दर अथवा उसके विधिमान्य रहने की अवधि के अन्दर, जो भी पूर्व में हो।
(स) चैक जारी होने के 15 दिन की अवधि के अन्दर।
(द) उपरोक्त में कोई नहीं।

Que. For the purpose of attracting the provisions of section 138 of Negotiable Instrument Act 1881, a cheque has to be presented to the bank :-
(a) Within a period of 06 months.
(b) Within a period of 06 months from the date on which it is drawn Or within the period of its validity, whichever is earlier.
(c) Within a period of 15 days from the date on which it is drawn.
(d) None of the above.

i-Ø- 92& धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध में प्रावधनित अधिकतम कारावास की सजा है –
(अ) 6 माह।
(ब) 1 वर्ष।
(स) 2 वर्ष।
(द) 3 वर्ष।

Que. The period of maximum jail sentence prescribed in the offence under section 138 Negotiable Instrument Act. is -
(a) 6 Months.
(b) 1 Years.
(c) 2 Years.
(d) 3 Years.

i-Ø- 93& यदि कोई व्यक्ति जो केन्द्र या राज्य सरकार के द्वारा मालिकी की या नियंत्रित कम्पनी का निदेशक है, धारा 138 के अपराध के लिए उत्तरदायी है .....
(अ) हां
(ब) नहीं
(स) केन्द्र या राज्य सरकार की अनुमति से
(द) व्यक्तिगत हैसियत से

Que. If any person is nominated as a director of a company owned or controlled by Central Government or State Government is liable for offence under Section 138 …….
(a) Yes
(b) No
(c) with the permission of Central//State Government
(d) In personal position

i-Ø- 94& धारा 138 का अपराध कारित होना नहीं माना जायेगा, यदि लेखीवाल चैक के अधीन राशि प्राप्त करने वाले या सामान्य अनुक्रम में चैक के धारक व्यक्ति को चैक अनादृत होने पर सूचना पत्र प्राप्त होने पर निम्न समय सीमा में राशि अदा कर देता है .....
(अ) तीन माह
(ब) 30 दिन
(स) 10 दिन
(द) 15 दिन

Que. Under section 138 if the drawer make the payment after receiving information of dishonour of the cheque of the said amount to the holder in due course of the cheque within ..... days then he is not liable for offence
(a) Three months
(b) 30 Days
(c) 10 Days
(d) 15 Days

i-Ø- 95& यदि चैक किसी खाते के माध्यम से संग्रहण के लिए परिदत्त किया जाता है, तो धारा 138 के अधीन दण्डनीय अपराध की जांच और विचारण केवल किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जायेगा, जिसकी स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के भीतर .....
(अ) बैंक की शाखा, जहां लेखीवाल खाता बनाये रखता है।
(ब) बैंक की शाखा, जहां पर यथास्थिति पाने वाला या सम्यक अनुक्रम में धारक, खाता

बनाये रखता है, स्थित है।
(स) उक्त दोनों अ ब में से किसी भी स्थान पर।
(द) वह स्थान जहां चैक जारी हुआ था।

Que. If the cheque is delivered for collection through an account for the offence under section 138 shall be inquired into and tried only by a court within whose local Juridiction…..
(a) Branch of the Bank, there drawee maintain account
(b) Branch of the Bank, where payee or holder in due course as the case may be maintain accounts, is situated
(c) Both the places above a and b
(d) At the place where cheque is issued

Electricity Act, 2003

i-Ø- 96& धारा–126 विद्युत अधिनियम के अधीन किये गये अंतिम आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी को अपील कर सकेगा :–
(अ) 15 दिवस के अन्दर।
(ब) 30 दिवस के अन्दर।
(स) 45 दिवस के अन्दर।
(द) 60 दिवस के अन्दर।

Que. Any person aggrieved by the final order made U/s 126 of Electricity Act may prefer an appeal to an appellate authority :-
(a) Within a period of 15 days.
(b) Within a period of 30 days.
(c) Within a period of 45 days.
(d) Within a period of 60 days.

i-Ø- 97& विशेष न्यायालय धारा–154(3) के तहत संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में कारावास का अधिकतम दण्डादेश पारित कर सकेगा :–
(अ) 01 वर्ष से अनधिक।
(ब) 02 वर्ष से अनधिक।
(स) 03 वर्ष से अनधिक।
(द) 05 वर्ष से अनधिक।

Que. In case of any conviction in summary trial U/s 154(3), a special court may pass a maximum sentence of imprisonment of a term :-
(a) Not exceeding 01 year.
(b) Not exceeding 02 years.
(c) Not exceeding 03 years.
(d) Not exceeding 05 years.

i-Ø- 98& धारा–135 के तहत विद्युत चोरी के अपराध में प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित जुर्माना की न्यूनतम राशि कम नहीं होगी :–

(अ) विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ की दो गुना से।

(ब) विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ की चार गुना से।

(स) विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ की तीन गुना से।

(द) विद्युत की ऐसी चोरी के कारण वित्तीय लाभ की पॉच गुना से।

Que. The minimum fine imposed on first conviction for offense of theft of electricity U/s 135 shall not be less than :-

(a) 2 times of the financial gain of such theft of electricity.

(b) 4 times of the financial gain of such theft of electricity.

(c) 3 times of the financial gain of such theft of electricity.

(d) 5 times of the financial gain of such theft of electricity.

i-Ø- 99& विद्युत अधिनियम 2003 में चुराई गई सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये दण्ड का प्रावधन किस धारा में है –

(अ) 136

(ब) 137

(स) 138

(द) 139

Que. Which is penal section for receiving stolen property in the Electricity Act. 2003 -

(a) 136

(b) 137

(c) 138

(d) 139

i-Ø- 100& विद्युत अधिनियम की धरा 152(1) के अंतर्गत अपराध का प्रशमन किसी उपभोक्ता को कितनी बार अनुज्ञात किया जाएगा –

(अ) 1

(ब) 2

(स) 3

(द) अनेक बार।

Que. How much times compounding of an offence under section 152(1) of Electricity Act. can be allowed -

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) Many times.

*****